मध्य प्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन,भोपाल–462004
//आदेश//

भोपाल,दिनांक 15/12/2015

कमांक एफ 8–8/2015/54–2 :: राज्य शासन एतदद्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता एवं अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र देने के लिये मार्गदर्शी सिंद्धान्त एवं प्रकिया–2007 (संशोधित 2015) संलग्न प्रति अनुसार जारी होने के दिनांक से प्रभावशील की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(मीनाक्षी मालवीया)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

कमांक एफ 8–8/2015/54–2 भोपाल,दिनांक 15/12/2015

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक,मा0मंत्रीजी,पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण,भोपाल
2. अपर मुख्य सचिव,मध्यप्रदेश शासन,स्कूल शिक्षा विभाग,भोपाल,
3. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग,भोपाल,
4. आयुक्त,पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण,भोपाल म0प्र0
5. समस्त संभागीय आयुक्त,मध्यप्रदेश,
6. समस्त कलेक्टर,मध्यप्रदेश,
7. प्रभारी,मान्यता शाखा,आयुक्त,पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण,म0प्र0
8. समस्त सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण,म0प्र0

की ओर मार्गदर्शी सिंद्धान्त एवं प्रकिया–2007 (संशोधित 2015) की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

9. गार्ड फाईल

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

order op

मध्य प्रदेश शासन

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता एवं अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र देने के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त एवं प्रक्रिया – 2007, संशोधित 2015

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय–भोपाल

(3)

मध्य प्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय–भोपाल

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता एवं अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र देने के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत एवं प्रक्रिया 2007, संशोधित 2015

प्रस्तावना –

1. नाम– धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को मान्यता देने एवं अल्पसंख्यक संस्था घोषित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत एवं प्रक्रिया – 2007, संशोधित 2015.

2. क्षेत्र– शैक्षणिक संस्थान मध्य प्रदेश में स्थित हो।

3. संस्था– संस्था का तात्पर्य धार्मिक/भाषायी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति द्वारा संचालित/व्यक्तियों द्वारा गठित मध्य प्रदेश फर्म एवं संस्था अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत समिति द्वारा संचालित/अशासकीय/स्वैच्छिक संगठन द्वारा संचालित, शैक्षणिक संस्था, जो संबंधित प्रमाणीकरण संस्था (Certifying Agency) जैसे:– अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (A.I.C.T.E.) आदि द्वारा मान्यता प्राप्त तथा विश्वविद्यालय/मण्डल से नियम अनुसार संबद्धता (Affillation) प्राप्त हो।

4. प्राधिकृत अधिकारी– अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की मान्यता/प्रमाण पत्र देने के लिये राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी।

5. प्रबंधकारिणी– प्रबंधकारिणी से तात्पर्य शैक्षणिक संस्था के प्रबंधन हेतु गठित समिति की नियमानुसार अनुमोदित की प्रबंधकारिणी।

6. अल्पसंख्यक– म.प्र. शासन/भारत सरकार द्वारा घोषित धार्मिक/भाषायी अल्पसंख्यक, भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के लिये परिभाषित भाषाई अल्पसंख्यक।

Deputy Secretary,
Govt. of Madhya Pradesh,
Backwaru & Minorities Welfare

7. **आवेदन प्रक्रिया** – अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की मान्यता प्राप्त करने के लिए संस्था को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन (प्रपत्र संलग्न) कार्यालय आयुक्त/संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, सतपुड़ा भवन, भोपाल को करना होगा। (निर्धारित प्रपत्र संलग्न है), आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करने होंगे:-

7.1. आवेदन निर्धारित प्रपत्र में।

7.2. पंजीयक, फर्म एवं संस्था का पंजीयन (पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति)।

7.3. प्रबंधक समिति की नियमावली।

7.4. प्रबंधक समिति/संस्था के विगत तीन वर्ष के आडिट किये गये लेखे एवं आडिट रिपोर्ट, आवेदन देने की दिनांक के पूर्व वर्षों की।

7.5. शैक्षणिक संस्था के विगत तीन वर्ष के आडिट किये गये लेखे एवं आडिट रिपोर्ट, आवेदन देने की दिनांक के पूर्व वर्षों की।

7.6. यदि प्रबंधक संस्था एवं शैक्षणिक संस्था के वित्तीय लेखे संयुक्त रूप में (Combined) रखे जाते हैं तो इस आशय का आडिटर (Chartered Accountant) द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।

7.7. शैक्षणिक संस्था के भर्ती नियम-शैक्षकीय/गैर शैक्षकीय।

7.8. शैक्षणिक संस्था की चल/अचल संपत्ति की सूची एवं प्रमाणित मूल्यांकन।

7.9. शैक्षणिक संस्था में लागू पाठ्यक्रमों की सूची।

7.10. शैक्षणिक संस्था में कार्यरत शैक्षकीय/गैर शैक्षकीय अमले की शैक्षणिक योग्यता, पद, वेतन तथा संस्था में कार्य प्रारम्भ करने की जानकारी। (निर्धारित प्रपत्र पर)

7.11. शैक्षणिक संस्था में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों की संख्या। (निर्धारित प्रपत्र पर)

7.12. ए.आई.सी.टी.ई. अथवा जो भी लागू हो का प्रमाण पत्र तथा विश्वविद्यालय/बोर्ड जो भी लागू हो का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।

7.13. निर्धारित पंजीयन शुल्क रूपये 1,000/- के भुगतान का विवरण। (बैंक चलान की प्रति)

7.14. आवेदन पत्र से संलग्न निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र।

Deputy Secretary,
Govt. of Madhya Pradesh,
Backward & Minorities Welfare

7.15. आवेदन से तीन वर्ष पूर्व के धारा 27 एवं 28 के पालन स्वरूप रजिस्ट्रार फॉर्म्स एवं सोसाईटीज़ को प्रस्तुत करने की पंजीयन कार्यालय की पावती की सत्यापित छायाप्रति। संस्था की वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति।

7.16. रजिस्ट्रार फॉर्म्स एवं सौसाईटीज़ द्वारा अनुमोदित/सत्यापित संस्था की वर्तमान कार्यकारिणी/प्रबंधकारिणी की सूची।

7.17. प्रबंधक संस्था/समिति के सदस्यों के पूर्ण विवरण सहित उनके अल्पसंख्यक समुदाय के होने संबंधी विवरण सहित समूहिक अथवा पृथक-पृथक, निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र।

8 **अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता/प्रमाण पत्र हेतु प्राप्त आवेदनों का परीक्षण एवं संस्था/समिति का भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षणः-**
अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता संबंधी आवेदन कार्यालय आयुक्त/संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, द्वितीय तल सतपुड़ा भवन, भोपाल को प्रस्तुत किये जाए। कार्यालय आयुक्त की संबंधित शाखा प्राप्त आवेदनों का मार्गदर्शी सिद्धांत एवं प्रक्रिया अनुसार परीक्षण कर कमी पूर्ति पश्चात आवेदक संस्था के परिसर का भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण प्रतिवेदन तथा अनुशंसा टीप निर्धारित प्रपत्र में जिला कलेक्टर के माध्यम से एक माह की समय अवधि में प्राप्त करें।

9. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के मान्यता आवेदनों का निराकरण संशोधित प्रक्रिया अनुसार आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मध्य प्रदेश द्वारा गठित समिति के माध्यम से विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव के अनुमोदन से कार्यालय आयुक्त पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण की संबंधित शाखा से जारी किये जाएंगे।

10. **अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था मान्यता/प्रमाण पत्रों का पंजीयन तथा अभिलेख संधारणः-** अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था मान्यता/प्रमाण पत्रों का पंजीयन तथा अभिलेख संधारण कार्यालय आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण की संबंधित शाखा द्वारा किया जाएगा। इस हेतु प्रमाण पत्रों का मान्यता पंजी में दर्ज किया जाना आवश्यक होगा।

Deputy Secretary,
Govt. of Madhya Pradesh,
Backward & Minorities Welfare

11. **अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था मान्यता/प्रमाण पत्रों की अवधि एवं नवीनीकरण एवं स्थाई किया जाना:–** अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था मान्यता/प्रमाण पत्र एक वर्ष की अवधि के लिए अस्थाई रूप से जारी किया जाएगा जिसे तीन वर्ष तक अस्थाई रूप से नवीनीकरण पश्चात जारी किये जाने के बाद चौथे वर्ष स्थाई रूप से जारी किया जा सकेगा। नवीनीकरण एवं स्थाई प्रमाण पत्रों की आवेदन प्रक्रिया नवीन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के समान ही होगी।

12. **अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था मान्यता/प्रमाण पत्रों निरस्त किये जाने के अधिकार:–** अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को जारी अस्थाई/स्थाई प्रमाण पत्रों के जारी किये जाने के पश्चात यदि निर्धारित मानदण्डों में कोई कमी अथवा मित्या/कूटरचित अभिलेखों या आधारों पर मान्यता प्राप्त किया जाना पाया जाता है तो प्रधिकृत अधिकारी द्वारा मान्यता निरस्त कर दी जाएगी।

13. **अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता/प्रमाण पत्र जारी किये जाने के पश्चात संस्थाओं का निरीक्षण:–** अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता/प्रमाण पत्र जारी किये जाने के पश्चात समय–समय पर विभाग के अधिकारियों द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा निरीक्षण में मार्गदर्शी सिद्धांत अनुसार कमी पाये जाने पर निरीक्षणकर्ता अधिकारी अपने प्रतिवेदन में इसका स्पष्ट उल्लेख कर प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

14. कार्यालय आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मध्य प्रदेश को निर्धारित प्रारूप में उपरोक्त क्रमांक 7(1) से 7(17) तक तथा 13(1) से 13(17) तक की ओपचारिकताएं पूर्ण तथा वर्णित जानकारी एवं अभिलेख प्राप्त आवेदन पत्र से संलग्न प्राप्त होने पर संबंधित शाखा द्वारा प्रारंभिक जांच एवं कमी पूर्ति पश्चात, कोई कमी नहीं पाई जाने पर, प्राप्त आवेदन को संबंधित जिले के कलेक्टर को भेजते हुए, उनके माध्यम से, आवेदक संस्था के परिसर का निरीक्षण, 1 माह में कराऐंगे तथा निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किए जाने संबंधी इस मार्गदर्शी सिद्धांत एवं प्रक्रिया में कण्डिका 9 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार/प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही पूर्ण कर आवेदक समिति द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्था को मान्यता प्रमाण पत्र जारी करेंगे।

15. **अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता/प्रमाण पत्र आवेदन अमान्य किये जाने पर अपील का प्रावधान :–**
मान्यता हेतु आवेदन पत्र अमान्य करने की स्थिति में आवेदक संस्था/समिति द्वारा इसकी अपील राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम 2004 की धारा 12(B) के प्रावधान अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग नई दिल्ली के समक्ष करने को स्वतन्त्र होगा।

Deputy Secretary,
Govt. of Madhya Pradesh,
Backward & Minorities Welfare

16. **मान्यता/प्रमाण पत्र जारी किया जाना :–**
मान्यता प्रमाण पत्र के पंजीयन हेतु आयुक्त कार्यालय में मान्यता पंजी का संधारण किया जाएगा। इस पंजी में दर्ज करने के पश्चात कार्यालय आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मध्य प्रदेश की संबंधित शाखा द्वारा मान्यता प्रमाण पत्र जारी किये जा सकेंगे।

17. **मान्यता/प्रमाण पत्र की वैधता :–**
प्रमाण पत्र तब तक वैध रहेगा जब तक इस मार्गदर्शी सिद्धांत में वर्णित सभी नियम निर्देशों और औपचारिकताओं का प्रमाण पत्र धारी शैक्षिणक संस्था द्वारा पालन करते हुए संस्था संचालित रहेगी।

18. **अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था मान्यता प्राप्त संस्थाओं का औचक/नियमित निरीक्षणः–**
प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के पश्चात समय–समय पर नियम, निर्देश और औपचारिकताओं का पालन सुनिश्चित करने हेतु शासन/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था का नियामित/औचक निरीक्षण किया अथवा कराया जा सकेगा। इस निरीक्षण के प्रतिवेदन के आधार पर यह पाये जाने पर कि सस्था द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षिणक संस्था के लिये मापदण्ड, नियम निर्देश तथा औपचारिकताऐं पूर्ण नहीं की जा रही हैं। संस्था को स्पष्टीकरण दिये जाने का अवसर प्रदान किया जाकर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शासन के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किये जाने पर शासन द्वारा प्रकरण में निर्णय लिया जा सकेगा तथा अपचारी संस्था के विरूद्ध कार्यवाही के अंतर्गत संस्था को प्रदत्त प्रमाण पत्र निरस्त/निलंबित/बहाल करने के अधिकार शासन के पास सुरक्षित रहेंगे।

19. **<u>अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये पात्रता एवं शर्ते</u>**

19.1. अल्पसंख्यक के आधार धर्म एवं भाषा अर्थात धार्मिक अल्पसंख्यक एवं भाषाई अल्पसंख्यक दोनों हो सकते हैं, तदनुसार मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित धार्मिक अल्पसंख्यक एवं मध्य प्रदेश के लिये परिभाषित भाषाई अल्पसंख्यक (भारत सरकार द्वारा घोषित) को प्रात्रता होगी।

19.2. जिस समुदाय के धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत से कम हो, अल्पसंख्यक माना जावेगा।

Deputy Secretary,
Govt. of Madhya Pradesh,
Backwaru & Minorities Welfare

19.3. जो एजेन्सी शैक्षणिक संस्था का प्रबंधन कर रही है, उसका संवैधानिक स्वरूप होना अनिवार्य है उदाहरणार्थ– फर्म एवं समिति पंजीयन अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए।

19.4. अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं में प्रवेश केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों तक सीमित नहीं होगा।

19.5. शैक्षणिक संस्था के प्रशासन एवं प्रबंधन के लिये नियम रहेंगे जिसमें संस्था संबंधित संचालनालय/मण्डल/विश्वविद्यालय से सम्बद्धीकरण आदि का स्पष्ट उल्लेख होगा, शिक्षकों की सेवा शर्तें तथा योग्यता निर्धारित करते समय संस्था द्वारा सामाजिक एवं साम्प्रदायिक सद्भावना बनाये रखा जावेगा।

19.6. संस्था द्वारा यह भी अनिवार्य रूप से पालन किया जावेगा कि अल्पसंख्यकों द्वारा चलाई जा रही संस्था होने का (Privilege) दुरूपयोग किसी व्यक्ति या संस्था के लिये नहीं करेंगे।

19.7. संस्था के शिक्षकीय एवं गैर – शैक्षकीय अमले के लिये अनुशासन, नियम बनाते समय प्राकृतिक न्याय का ध्यान रखा जाये, संस्था के उत्कृष्ट प्रशासन का ध्यान रखा जाये, शैक्षणिक संस्थाओं के लिये जो अन्य सामान्य नियम है वह भी लागू होंगे।

19.8. भर्ती हेतु चयन हेतु प्रक्रिया में विश्वविद्यालय/मण्डल के नियम तथा राज्य शासन के निर्देश लागू होंगे। संस्था संचालन के लिये योग्य शिक्षकों एवं अन्य अमले हेतु उम्मीदवारों को भर्ती करने की स्वतंत्रता रहेगी, परन्तु सलाह दी जाती है कि शिक्षकों तथा अन्य अमलों के चयन खुली (Open) विज्ञप्ति से एवं पारदर्शी प्रक्रिया से किया जाये।

19.9. संस्था के शिक्षक एवं अन्य अमला अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय के लिये आवश्यक शैक्षणिक अर्हता के ही रखे जायें तथा योग्यता में शिथिलता नहीं की जायेगी।

19.10. वे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाऐं जो राज्य शासन से अनुदान प्राप्त कर रही हैं, यह अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाऐं गैर–अल्पसंख्यकों को धर्म जाति एवं सम्प्रदाय के आधार पर प्रवेश के लिये मना नहीं कर सकेगी।

Deputy Secretary,
Govt. of Madhya Pradesh,
Backward & Minorities Welfare

19.11. किसी विद्यार्थी को बिना उनके अभिभावकों की पूर्व लिखित सहमति के किसी विशेष धार्मिक प्रवचन/पूजा के लिये बाध्य नहीं करेंगे।

19.12. अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जा सकेगी परन्तु इस संबंध में संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियम बाध्यकारी होंगे।

19.13. संस्था की प्रबंधकारिणी में अधिकांश, अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य रहेंगे, यह सुनिश्चित किया जावे। साथ ही संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियम भी लागू होंगे।

19.14. अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में से पूर्णतः धार्मिक निर्देश या शिक्षा दे रही संस्था को इससे बाहर रखा गया है अतः ऐसी संस्थाओं के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

19.15. किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को विश्वविद्यालय/मंडल से संबद्धीकरण के लिये प्रवेश में वरीयता का आधार, शिक्षा की उत्कृष्टता, प्रवेश की सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी प्रणाली, आवश्यक भौतिक संरचना, पाठयक्रम तथा शैक्षणिक गुणवत्ता आदि की पूर्ति का ध्यान रखा जाना होगा।

19.16. गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को इस विषय में राज्य शासन द्वारा जारी नीति तथा निर्देशों के अंतर्गत रहते हुए शिक्षण शुल्क लेने की स्वतंत्रता होगी परन्तु अनुचित लाभ अर्जन नहीं किया जा सकेगा। ''केपीटेशन फीस'' लिये जाने की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में विभिन्न याचिकाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/निर्देश लागू होंगे।

19.17. संस्था को उपरोक्तानुसार (निर्धारित प्रपत्र में) शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

20. **विभाग के लिये निर्देश :-**

20.1. प्राप्त आवेदन पत्र संबंधित जिला कलेक्टर को भेजकर आवश्यक निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन सहित अनुशंसा (1 माह में) प्राप्त की जायेगी।

20.2. यदि किसी संस्था का अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था घोषित करने का आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है, तो उसके लिये सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्ती का कारण स्पष्ट रूप से संबंधित संस्था को सूचित किया जायेगा, निरस्तीकरण आदेश की प्रति संबंधित जिला कलेक्टर, संबंधित विश्वविद्यालय/मंडल तथा प्रमाणीकरण प्राधिकारी/संस्था (Certifying Authority) को भी दिया जावेगा।

Deputy Secretary,
Govt. of Madhya Pradesh,
Backward & Minorities Welfare

(10)

20.3. ऐसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं जिसमें पूर्णतः धार्मिक निर्देश या शिक्षा दिये जाते हैं, को इससे बाहर रखा गया है, अतः ऐसी संस्थाओं के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

20.4. मान्यता एवं प्रमाण पत्र के आवेदन पत्रों पर निर्णय लेने की अधिकतम अवधि 60 दिन होगी। विभाग/जिला कलेक्टर द्वारा आवेदन पत्रों पर निर्णय लेने में विलम्ब की जानकारी संबंधित संस्था को कारण सहित सूचित की जावेगी।

20.5. गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रशासकीय नियंत्रण कम से कम रखा जायेगा जो आवश्यकताएें विश्वविद्यालय या बोर्ड (मण्डल) से संबद्धीकरण के लिये आवश्यक है वे रखी जाये। दैनन्दिनी प्रबंधन में जैसे शिक्षकीय गैर–शिक्षकीय एवं अन्य अमले की नियुक्ति एवं उनके ऊपर प्रशासकीय नियंत्रण, प्रबंधन को इसकी स्वतंत्रता रहेगी। अपितु भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया तथा शिक्षकों एवं अन्य अमले के चयन में पारदर्शी पद्धति को अपनाना एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये नियम बनाने की जवाबदारी (प्रबंधक संस्था/समिति) संस्था/समिति की होगी।

20.6. अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के लिये संबंधित प्रशासकीय विभाग के नियम लागू होंगे।

20.7. संस्थाओं को शैक्षणिक परिवेश की उत्कृष्टता, पाठयक्रम, परीक्षा आदि के लिये संबंधित विश्वविद्यालय या बोर्ड (मण्डल) एवं प्रशासकीय विभाग के निर्देश/नियमों का पालन किया जाना होगा।

20.8. किसी भी स्थिति में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था होने का अनुचित लाभ उठाने की छूट नहीं होगी।

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थओं को मान्यता एवं अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र देने के लिये उक्त मार्गदर्शी सिद्धांत एवं प्रक्रिया मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक 7–51/89–PN (D III) दिनांक 5–10–1989 के द्वारा जारी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने के संबंध में नीति एवं मार्गदर्शी सिद्धांत के आधार पर बनाये गये हैं तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम 2004 के आधार पर संशोधित किये गये हैं। यह संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत मध्य प्रदेश शासन द्वारा लागू किये जाने की दिनांक से प्रभावशील होंगे।

Deputy Secretary,
Govt. of Madhya Pradesh,
Backward & Minorities Welfare

धार्मिक अल्पसंख्यक/भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता एवं प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए

प्रथम आवेदन/ नवीनीकरण हेतु

आवेदन-पत्र

(मध्य प्रदेश शासन के प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु)

प्रति,

आयुक्त
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण
सतपुड़ा भवन,
भोपाल (म०प्र०)

भारत सरकार द्वारा घोषित धार्मिक अल्पसंख्यक/भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा गठित प्रबंधक समिति द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्था का विवरण निम्नानुसार है तथा समस्त संबंधित अभिलेखों एवं जानकारियों की स्वसत्यापित प्रतियां इस आवेदन से संलग्न करते हुए निवेदन है कि आवेदित शैक्षणिक संस्था को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था संबंधी मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने कष्ट करें।

1. प्रबंधक समिति का नाम :- ....

2. प्रबंधक समिति का पूर्ण पता एवं दूरभाष नम्बर :- ....

3. प्रबंधक समिति द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्था का पूर्ण नाम :- ....

4. शैक्षणिक संस्था का पूर्ण पता एवं दूरभाष नम्बर :- ....

5. प्रबंधक समिति का पंजीयन क्र. एवं कार्य क्षेत्र :- ....
(रजिस्ट्रार फार्म्स एवं सोसाईटी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र तथा नियम उपनियमों की स्वसत्यापित प्रति संलग्न करें)

6. प्रबंधक समिति द्वारा रजिस्ट्रार फॉर्म्स एवं सोसाइटी के समक्ष धारा 27 एवं 28 से संबंधित विगत तीन वर्षों की जानकारी प्रस्तुत करने संबंधी पत्र जिस पर रजिस्ट्रार फॉर्स एवं सोसाइटी की पावती स्पष्ट रूप से अंकित हो की स्वसत्यापित प्रति संलग्न करें। :- ....

7. प्रबंधक समिति के विगत तीन वर्षों के अंकेक्षित (Audited) वित्तीय लेखों की स्वसत्यापित प्रतियां तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन (Audit Note) की स्वसत्यापित प्रतियां। :— ....

8. प्रबंधक समिति के धार्मिक अल्पसंख्यक/भाषाई अल्पसंख्यक जो भी लागू हो के अल्पसंख्यक समुदाय का नाम। :— ....

9. प्रबंधक समिति के सदस्यों के संबंध में धार्मिक अल्पसंख्यक/भाषाई अल्पसंख्यक की जानकारी का निर्धारित प्रारूप (प्रारूप–एक) में शपथ पत्र संलग्न करें। :— शपथ पत्र संलग्न है/नहीं है।

10. शैक्षणिक संस्था का स्तर (विद्यालय/महाविद्यालय) :— ....

11. शैक्षणिक संस्था का प्रशासकीय विभाग (स्कूल शिक्षा/सी.बी.एस.सी./अन्य/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा या अन्य विभाग) :— ....

12. क्या शैक्षणिक संस्था को राज्य शासन/केन्द्र शासन से कोई अनुदान प्राप्त होता है। :— हां अथवा नहीं

13 यदि हां तो विवरण संलग्न करें :— ....

14. शैक्षणिक संस्था के विगत तीन वर्षों के अंकेक्षित (Audited) वित्तीय लेखों की स्वसत्यापित प्रतियां तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन (Audit Note) की स्वसत्यापित प्रतियां। (यदि प्रबंधक समिति और शैक्षणिक संस्था के वित्तीय लेखे एक साथ (Combine) रखे जाते हैं तो इस आशय का चार्टर्ड एकाउंटेड द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।) :— ....

15. प्रबंधक समिति की वर्तमान प्रबंधकारिणी की रजिस्ट्रार फार्म्स एवं सोसाइटिज़ द्वारा सत्यापित/अनुमोदित सूची संलग्न करें। :— संलग्न है अथवा नहीं

16. शैक्षणिक संस्था में अध्यनरत अल्पसंख्यक समुदाय एवं अन्य समुदाय के विद्यार्थियों का निर्धारित प्रपत्र (प्रारूप–दो) में स्वसत्यापित विवरण संलग्न करें :– संलग्न है अथवा नहीं

17. शैक्षणिक संस्था में कार्यरत शिक्षकीय एवं :– गैर–शिक्षकीय अमले का निर्धारित प्रपत्र (प्रारूप–तीन) में स्वसत्यापित विवरण संलग्न करें ....

18. शैक्षणिक संस्था में उपलब्ध अधोसंरचना संस्था के प्रशासकीय विभाग/प्रशासकीय संस्था/मण्डल/परिषद द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार है से संबंधित विवरण एवं प्रमाण संलग्न करें। :– संलग्न है अथवा नहीं

19. संस्था में शिक्षकीय–गैर शिक्षकीय अमले की नियुक्ति से सबंधित भर्ती नियमों की स्वप्रमाणित प्रति। :– ....

20. शैक्षणिक संस्था जिस विश्वविद्यालय/मण्डल/विभाग/परिषद से संबद्वता (Affiliated) है का नाम :– ....

21. शैक्षणिक संस्था को जारी संबद्वता (Affiliation) प्रमाण पत्र की वर्तमान एवं पूर्व के दो वर्षों की स्वसत्यापित प्रतियां संलग्न करें। :– ....

22. शैक्षणिक संस्था का स्थापना वर्ष :– ....

23. शैक्षणिक संस्था में संचालित पाठयक्रमों की स्वप्रमाणित सूची। :– ....

24. शैक्षणिक संस्था द्वारा संचालित पाठयक्रमों के विगत तीन शैक्षणिक सत्रों के वर्षों की जानकारी। :– ....

25. शैक्षणिक संस्था को प्राप्त राज्यस्तरीय/राष्ट्रीय/अंर्तराष्ट्रीय उपलब्धियों का विवरण संलग्न करें। :– संलग्न है अथवा नहीं

(14)

26. शैक्षणिक संस्था में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण (अध्ययन कक्ष, पुस्ततकालय, खेल मैदान, इनडोर खेल सुविधा, कम्प्यूटर लेब, प्रयोगशाला, छात्रावास या अन्य सुविधा का विवरण संलग्न करें। :— संलग्न है अथवा नहीं

27. उपरोक्त वर्णन के आधार पर क्या आवेदक शैक्षणिक संस्था अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की मान्यता प्राप्त करने की प्रात्रता रखती है अथवा नहीं। :— प्रात्र है /अप्रात्र है।

28. आवेदक द्वारा जमा किये गये पंजीयन शुल्क की जानकारी :— ....

(जो लागू न हो उसे काट दें।)

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

दूरभाष :

(संस्था प्रमुख / प्राचार्य / अध्यक्ष / सचिव)

प्रपत्र–एक

(100/– रूपये के नॉन–जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

शपथ पत्र

1 मैं/हम शपथपूर्वक कथन करता हूं/करते हैं कि .... (समिति का नाम), नामक समिति जो कि .... (समिति का पता) पर स्थापित एवं संचालित है के हम सभी/मैं प्रबंधकारणी सदस्य हैं/हूं।

2. उपरोक्त समिति का पंजीयन क्रमांक .... दिनांक .... तथा कार्य क्षेत्र .... है।

3. उपरोक्त वर्णित समिति द्वारा .... (शैक्षणिक संस्था का नाम) नामक शैक्षणिक संस्थान जो कि .... (शैक्षणिक संस्था का पूर्ण पता) पर स्थापित एवं संचालित है। समिति द्वारा प्रबंधित एवं संचालित की जाती है।

4. उपरोक्त वर्णित शैक्षणिक संस्था में अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। इसी के साथ–साथ अन्य वर्ग एवं समुदाय के विद्यार्थियों को भी प्रवेश दिया जाता है।

5. मैं/हम सभी सदस्य .... अल्पसंख्यक समुदाय के अनुयायी हैं।

क्रमांक	सदस्य का नाम, पिता का नाम तथा वर्तमान पता	अल्पसंख्यक समुदाय का नाम
1.	नाम : पिता का नाम : वर्तमान पता :	

शपथग्रहिता/शपथग्रहिताओं के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं/हम शपतपूर्वक कथन करते हैं कि उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 से लगायत 5 तक दी गई जानकारी हमारी/मेरी जानकारी अनुसार सही एवं सत्य है।

शपथग्रहिता/शपथग्रहिताओं के हस्ताक्षर

प्रपत्र–दो

शैक्षणिक संस्था में अध्यनरत अल्पसंख्यक समुदाय एवं अन्य समुदाय के विद्यार्थियों का विवरण पत्रक

(शैक्षणिक संस्था के लेटर हेड पर)

क्र.	संचालित कक्षाओं का विवरण	कक्षाओं के वर्ग (सेक्शन की संख्या)		अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की संख्या						कुल अल्पसंख्यक विद्यार्थी की संख्या	अन्य विद्यार्थियों की संख्या	विद्यार्थियों की कुल संख्या
		सेक्शन	विद्यार्थी की संख्या	मुस्लिम	ईसाई	बोद्ध	पारसी	सिख	जैन	(5+6+7+8 +9+10=11)		11+12=13
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
			कुल संख्या									

शैक्षणिक संस्था के अधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित

प्रपत्र–तीन

शैक्षणिक संस्था में कार्यरत शिक्षकीय एवं गैर–शिक्षकीय अमले का विवरण प्रपत्र

(शैक्षणिक संस्था के लेटर हेड पर)

क्र.	कर्मचारी का नाम	कर्मचारी की जन्म तिथि	संस्था में कार्य प्रारंभ करने की तिथि	शैक्षणिक योग्यता	पद	सकल वेतन

शैक्षणिक संस्था के अधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित

प्रपत्र--चार

(100/– रूपये के नॉन–जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

शपथ पत्र

1 मैं/हम शपथपूर्वक कथन करता हूं/करते हैं कि .... (समिति का नाम), नामक समिति जो कि .... (समिति का पता) पर स्थापित एवं संचालित है के हम सभी/मैं प्रबंधकारणी सदस्य हैं/हूं।

2. उपरोक्त समिति का पंजीयन क्रमांक .... दिनांक .... तथा कार्य क्षेत्र .... है।

3. उपरोक्त वर्णित समिति द्वारा .... (शैक्षणिक संस्था का नाम) नामक शैक्षणिक संस्थान जो कि .... (शैक्षणिक संस्था का पूर्ण पता) पर स्थापित एवं संचालित है। समिति द्वारा प्रबंधित एवं संचालित की जाती है।

4. यह कि उपरोक्त वर्णित प्रबंधन समिति के हम सभी सदस्य .... अल्पसंख्यक समुदाय के अनुयाई हैं/ .... भाषायी अल्पसंख्यक समुदाय के अनुयाई हैं जो कि भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार घोषित अल्पसंख्यक समुदाय है।

5. यह कि हमारा अल्पसंख्यक समुदाय/भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय को भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय घोषित किया गया है।

6. यह कि उपरोक्त वर्णित शैक्षणिक संस्था का प्रबंधन करने वाली समिति जिसका विवरण उपरोक्त कण्डिका में वर्णित है का स्वरूप संवैधानिक है तथा यह समिति .... अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है।

7. यह कि उपरोक्त वर्णित शैक्षणिक संस्था में प्रदेश के केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों तक समित नहीं होगा।

8. यह कि शैक्षणिक संस्था के प्रशासन एवं प्रबंधन के लिये नियम रहेंगे जिसमें संस्था संचालनालय/मण्डल/विश्वविद्यालय से सम्बद्धीकरण आदि का स्पष्ट उल्लेख होगा, शिक्षकों की सेवा शर्ते तथा योग्यता निर्धारित करते समय संस्था द्वारा सामाजिक एवं साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखा जावेगा।

9. यह कि संस्था द्वारा यह भी अनिवार्य रूप से पालन किया जावेगा कि अल्पसंख्यकों द्वारा चलाई जा रही संस्था होने का (Privilege) दुरूपयोग किसी व्यक्ति या संस्था के लिये नहीं करेंगे।

10. यह कि संस्था के शिक्षकीय एवं गैर – शैक्षकीय अमले के लिये अनुशासन, नियम बनाते समय प्राकृतिक न्याय का ध्यान रखा जायेगा, संस्था के उत्कृष्ट प्रशासन का ध्यान रखा जायेगा, शैक्षणिक संस्थाओं के लिये जो अन्य सामान्य नियम है वह भी लागू होंगे।

11. यह कि शिक्षकों तथा अन्य अमलों के चयन खुली (Open) विज्ञप्ति से एवं पारदर्शी प्रक्रिया से किया जाता है। इसमें भर्ती हेतु चयन हेतु प्रक्रिया में विश्वविद्यालय/मण्डल के नियम तथा राज्य शासन के निर्देश जो भी संस्था पर लागू हों का पालन किया जाता है/किया जाऐ।

12. यह कि संस्था के शिक्षक एवं अन्य अमले की नियुक्ति में निर्धारित शैक्षणिक अर्हाता, योग्यता तथा अनुभव के मानकों में कोई शिथिलता नहीं की जाएगी।

13. यह कि उपरोक्त वर्णित शैक्षणिक संस्था को राज्य शासन/केन्द्र शासन से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है। यह एक गैर–अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्था है तथा इसमें अन्य जाति एवं सम्प्रदाय के आधार पर प्रवेश के लिए कोई रोक नहीं है।

14. यह कि उपरोक्त वर्णित शैक्षणिक संस्था में किसी विद्यार्थी को बिना उनके अभिभावकों की पूर्व लिखित सहमति के किसी विशेष धार्मिक प्रवचन/पूजा के लिये बाध्य नहीं करेंगे।

15. यह कि अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जा सकेगी परन्तु इस संबंध में संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियम बाध्यकारी होंगे।

16. यह कि संस्था की प्रबंधकारिणी में अधिकांश (बहुमत में) अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य रहेंगे यह सुनिश्चित किया जाएगा। संस्था द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियम भी लागू किये जाएंगे।

17. यह कि उपरोक्त वर्णित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था में पूर्णतः धार्मिक निर्देश एवं धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है।

18. यह कि उपरोक्त वर्णित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था में विश्वविद्यालय/मंडल से संबद्धीकरण के लिये प्रवेश में वरीयता का आधार, शिक्षा की उत्कृष्टता, प्रवेश की सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी प्रणाली, आवश्यक भौतिक संरचना, पाठ्यक्रम तथा शैक्षणिक गुणवत्ता आदि की पूर्ति का ध्यान रखा जाता है एवं पालन कया जाता है।

19. यह कि उपरोक्त शैक्षणिक संस्था गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है तथा इसमें राज्य शासन द्वारा जारी नीति तथा निर्देशों के अंतर्गत रहते हुए शिक्षण शुल्क लेने की स्वतंत्रता है। परन्तु संस्था द्वारा इसका अनुचित लाभ अर्जन नहीं किया जाता है। संस्था द्वारा "केपीटेशन फीस" नहीं ली जाती है। इस संबंध में संस्था द्वारा विभिन्न याचिकाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/निर्देशों का पालन किया जाएगा।

20 संस्था द्वारा उपरोक्तानुसार यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

शपथग्रहिता/शपथग्रहिताओं के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं/हम शपतपूर्वक कथन करते हैं कि उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 से लगायत 20 तक दी गई जानकारी हमारी/मेरी जानकारी अनुसार सही एवं सत्य है।

शपथग्रहिता/शपथग्रहिताओं के हस्ताक्षर

(प्रशासकीय विभाग के कार्यालय उपयोग के लिये)

प्रशासकीय विभाग की निरीक्षण टीप –

अनुशंसा –

कमियों की सूची –

पृथक प्रतिवेदन यदि कोई हो तो –

दिनांक –
स्थान –

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
नाम ....
पदनाम..
दूरभाष..